

26/2/26

अधिवक्ता अपीलान्त अनु०। अधिवक्ता अपीलान्त व
अपीलान्त की न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में
रुठ-रुठ बार-2 आवेक लगायी गयी, लेकिन इनकी
ओर ले कोर्-उपस्थित-नही हुआ। हमने पत्रावली का
अवलोकन किया। प्रकरण में आदेशिका दिनांक 21/1/2024
द्वारा स्थगन आदेश पारित कर रस्यो. के नोटिस जारी
रखे। एही सिद्धांतों के लिए निर्देशित कर 03 दिवस में
पोस्टल रसीद पेश करने हेतु समय दिया गया तथा
आदिनांक तह अधिवक्ता अपीलान्त को रस्यो. की तहवी
हेतु पंजीकृत लम्ब पेश करने के पर्याप्त अवसर प्रदान
किये गये। किन्तु अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा पत्रावली
कर आदिनांक पेशी तह न्यायालय आदेशों की पाठना
में रस्यो. के पंजीकृत लम्ब पेश नहीं किया गया। लिहाज
उक्त अपील अदम चैरवी। अदम हाजरी। अदम तहमील
में थारिफ की जाती है। पत्रावली केवल शुमार होकर
बाद आवश्यकता बाधवाही शामिल दस्तावेज हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली